न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वमित्र मीणा आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय
दिनांक		
285 / 16	29.09.2016	27/11/2017

.....

अनुवान

1. रोहिताश
2. सींगराम
3. किशन
4. कैलाश
5. लक्खीराम पुत्रांन सूडू
6. दुर्गी
7. कमला
8. सरती
9. शीला
10. धधली पुत्रीयांन सूडू
11. ताराचन्द
12. सीताराम
13. लालाराम
14. दाताराम पुत्रांन बैया
15. मिश्रो
16. बसन्ती
17. भोली पुत्रीयान बैया
18. अमीलाल
19. राजपाल पुत्रांन हरभजन पुत्र झूथाराम
20. चन्द्रो पत्नि हरभजन पुत्र झूथाराम
21. सतीश पुत्र लीलाराम पुत्र झूथाराम
22. प्रेम पुत्री लीलाराम पुत्र झूथाराम
23. घासीराम
24. हरदयाल पुत्रांन झूथाराम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

25. रामा पुत्री झूथाराम जाति गूर्जरान निवासियान ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

—वादीगण

बनाम

1. मनफूल पुत्र ईसब पुत्र मौजा
2. गिन्दौडी पत्नि ईसब पुत्र मौजा
3. लाडबाई पुत्री ईसब पुत्र मौजा
4. सरवन पुत्री ईसब पुत्र मौजा
5. कन्हैया
6. किशोरी पुत्रांन प्रभाती
7. रामपाल पुत्र प्रभाती
8. धापली पत्नि प्रभाती
9. नरेन्द्र कुमार
10. गजराज सिंह पुत्रांन लक्खीराम
11. रामौतार
12. सुबराम पुत्रांन खेमचन्द
13. भगवती पुत्री खेमचन्द
14. दड़कली पत्नि खेमचन्द जाति गूर्जरान निवासी जटियाना तहसील कोटकासिम
15. अमी खॉ
16. रहीम खॉ पुत्रांन भागमल जाति मेव निवासी ग्राम किरवारी तहसील कोटकासिम जिला—अलवर, राजस्थान
17. पंजाब नैशनल बैक शाखा हरसौली जर्ये शाखा प्रबन्धक हरसौली
18. भारतीय स्टेट बैंक शाखा खैरथल जर्ये शाखा प्रबन्धक खैरथल तहसील किशनगढ बास जिला अलवर
19. उप पंजियक हरसौली तहसील कोटकासिम
20. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय

हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 684/0.1400 व 688/0.3200 हैक्टर वाकै ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम ने वादीगण 1 लगायत 10 को 1/3 भाग, वादीगण संख्या 11 लगा0 17 का 1/3, वादीगण 18 लगा0 25 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 14 व 15, 16 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2017 को टंकित किया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वमित्र मीणा आ0ए0एस0

निर्णय

27/11/2017

मु.सं. दिनांक	दायरा दिनांक
285 / 16	29.09.2016

.....

अनुवान

1. रोहिताश
2. सींगराम
3. किशन
4. कैलाश
5. लक्खीराम पुत्रांन सूडू
6. दुर्गी
7. कमला
8. सरती
9. शीला
10. धधली पुत्रीयांन सूडू
11. ताराचन्द
12. सीताराम
13. लालाराम
14. दाताराम पुत्रांन बैया
15. मिश्रो
16. बसन्ती
17. भोली पुत्रीयान बैया
18. अमीलाल
19. राजपाल पुत्रांन हरभजन पुत्र झूथाराम
20. चन्द्रो पत्नि हरभजन पुत्र झूथाराम
21. सतीश पुत्र लीलाराम पुत्र झूथाराम
22. प्रेम पुत्री लीलाराम पुत्र झूथाराम
23. घासीराम
24. हरदयाल पुत्रांन झूथाराम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

25. रामा पुत्री झूथाराम जाति गूर्जरान निवासियान ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. मनफूल पुत्र ईसब पुत्र मौजा
2. गिन्दौडी पत्नि ईसब पुत्र मौजा
3. लाडबाई पुत्री ईसब पुत्र मौजा
4. सरवन पुत्री ईसब पुत्र मौजा
5. कन्हैया
6. किशोरी पुत्रांन प्रभाती
7. रामपाल पुत्र प्रभाती
8. धापली पत्नि प्रभाती
9. नरेन्द्र कुमार
10. गजराज सिंह पुत्रांन लक्खीराम
11. रामौतार
12. सुबराम पुत्रांन खेमचन्द
13. भगवती पुत्री खेमचन्द
14. दड़कली पत्नि खेमचन्द जाति गूर्जरान निवासी जटियाना तहसील कोटकासिम
15. अमी खॉ
16. रहीम खॉ पुत्रांन भागमल जाति मेव निवासी ग्राम किरवारी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर, राजस्थान
17. पंजाब नैशनल बैक शाखा हरसौली जर्ये शाखा प्रबन्धक हरसौली
18. भारतीय स्टेट बैंक शाखा खैरथल जर्ये शाखा प्रबन्धक खैरथल तहसील किशनगढ बास जिला अलवर
19. उप पंजियक हरसौली तहसील कोटकासिम
20. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय
हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

–

1. श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक वादीगण

वादीगण ने एक वाद मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दावा मय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया की विवादित आराजी हाल ख0न0 684/0.1400, 688/0.3200 हैक्टर वाके ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम जिसके साबिक ख0न0 411/0--09, 414/1–05 बीघा से पैमूद हुए। आराजी साबिक ख0न0 411 व 414 के साथ–साथ दीगर आराजीयात श्यामूमल पुत्र धर्मूमल को गैरखातेदारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अलोट की गई। जिस पर वे अपने जीवन काल में काबिज काश्त रहा। उसकी फौतगी के बाद उसकी पत्नि मंगीबाई ने उक्त आराजीयात उलौटी की कीमत कर्जा जमा कराकर सनद न0 377(66) के तहत तत्कालीन तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफीसर किशनगढ--बास से खातेदारी दिनांक 04.08.1966 को प्राप्त कर ली । जिस पर वो काबिज वो दाखिल होकर काश्त करती रही। मांगीबाई ने आराजी साबिक ख0न0 411 व 414 की सनद खातेदारी प्राप्त करने के बाद उक्त साबिक ख0न0 को मांगीबाई ने मिन वादीगणो 1 लगा0 10 के पिताजी सूडू को व मिन वादीगण सं.11 लगायत 17 के पिताजी बैया को व मिन वादीगण संख्या 18 लगा0 25 के दादाजी व पिताजी झूथाराम पुत्रान कल्लू को मांगीबाई ने इन से समस्त प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बाजाप्ता वाकब्जा के लिखतम बैयनामा दिनांक 10.08.1966 को तत्कालीन उप पंजियक महोदय किशनगढ़--बास ने पुस्तक सं.1 जिल्द संख्या 23 पेज न0 33--34 क्रं.सं. 498 पर विधिवत रूप से पंजिबद्ध मिन वादीगण के बुर्जुगान के नाम किया हुआ है। मांगीबाई ने बेचान ही वक्त आराजी ख0 नम्बरान पर सूडू, बैया, झूथाराम को कब्जा समलव दिया था। उक्त आराजीयात को वक्त खरीद ही सूडू, बैया, झूथाराम द्वारा उक्त असल बैयनामा के आधार पर उक्त आराजीयात का ईन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज व स्वीकार करवाने के लिए तत्कालीन हल्का पटवारी को असल बैयनामा दे दिया था। तत्कालीन हल्का पटवारी ने कुछ दिनो बाद असल बैयनामा को इनको वापिस यह कहते हुए लोटा दिया गया कि उक्त खरीद शुदा आराजी का नामान्तकरण तुम्हारे नाम दर्ज वो स्वीकार कर दिया गया है। मिन वादीगण के बुर्जुगानो को कानून कायदो का ज्ञान नही था। हल्का पटवारी की बात पर विश्वास कर लिया गया। उक्त खरीद से ही हमारे बुर्जुगान व उनके बाद मिन वादीगण विधिक वारिस होने के नाते काबिज व दाखिल होकर काश्त करत चले आ रहे है। सैटेलमैन्ट के अधिकारियों व कर्मचारीगणों ने विवादित आराजीयात की जमाबन्दी सं0 2029 पैमूद करते वक्त उसमें प्रतिवादीगण सं. 15, 16 का नाम किता लिखा कि कानुनी अधिकार के खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया । जिसकी पुनरावृत ता0 हाल राजस्व रिकॉर्ड में होती चली आ रही है। जबकि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 का किसी भी गुज पर कबजा काश्त नही है। इस लिए जिन वादी--प्रतिवादी सं0 1 लगा–14 व 15, 16 का नाम कलमजन कराने एवं राजे बयनामा दिनांक 10.08.1966 के आधार पर वादीगण रूप आपको विवादित आराजीयात क खातेदार काश्तकार घोषित कर व राजस्व रिकॉर्ड म अमल दरामद कराने के अधिकारी है। इस गलत इन्द्राज का ज्ञान दिनांक 11.07.2016 को हल्का पटवारी स हुआ जब मिन वादीगण किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जमाबन्दी लेने गये। इसलिए बिना देरी दाद पाना लाजिम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आया। प्रविादीगणों ने साफतौर पर उनको दी कि आराजीयात का दी गए लोगों का बेचा करेंगें। अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादीगण का अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए जिन वादीगण विवादित आराजीयात को दुरूस्त कराने व प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेध से पायन्द कराने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मव तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1–लगा0 18 बावजूद सूचना उपस्थित नही इसलिए इनके खिलाफ दिनांक 25.09.2017 का इकतर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 20 ने अपने जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि पक्षकारान का आपसी विवाद है। राज्य सरकार को कोई हित निहित नही है। वादीगण अपने वाद का स्वयं सिद्ध करे। वादीगण द्वारा वाद में सक्षम P.W. 1, P.W.2, P.W.3 पेश किये। साक्षय में भी वादी रोहताश P.W. 1 के शपथ पत्र में अंकित किया कि विवादित आराजीयात श्यामू पुत्र धर्मूमल को गैर खातेदारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अलॉट की गई जिस पर वो अपनी जीवन काल में काबिज काश्त रहा। उसकी फौतगी के बाद उसकी पत्नि ने उक्त आराजीयात अलॉट की कीमत जमा कराकर सनद न0 377 के तहत खातेदारी दिनांक 4.8.1966 का प्राप्त करली। खातेदारी प्राप्त करने क बाद उक्त साबिक ख0नम्बरान को मंगीबाई ने मिन वादीगण का बेचान कर दिया और वक्त खरीद से विवादित आरजीयात पर मिन वादीगण कब्जे काश्त है।

बहस विधान वकील वादीगण सुनी गई। अपनी बहस में विद्धान वकील ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजीयात दी गइ आराजीयात के साथ श्यामूमल पुत्र धर्मूमल को गैर खातेदारी के रूप राजस्थान सरकार से अलोट हुई और उसकी फौतगी के बाद उसकी पत्नि मंगीबाई ने अलोट की कीमत कर्जा जमा कर खातेदारी दिनांक 04.08.1966 को प्राप्त कर ली। मंगीबाई ने खातेदारी प्राप्त कर मिन वादीगण को दिनांक 10.08.1966 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दी। वक्त खरीद से आज तक मिन वादीगण विवादित आराजीयात पर काविज व इसरवेल को कर काश्त कर रहे है। रजिस्टर्ड बयनामा हल्का पटवारी को इन्काल दर्ज करने के लिए दे दिया । मिन वादीगण के बुजुर्गान का कानून कायदो का ज्ञान नही था। तत्कालीन हल्का पटवारी ने रजिस्टर्ड बयनामा यह कह कर लौटा दिया कि उक्त खरीद शुदा आराजी का इन्तकाल दर्ज वो स्वीकार कर दिया है। लेकिन सैटिलमैंट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विवादित आराजीयात की जमाबन्दी स. 2029 मसूद करते वक्त उसमें प्रतिवादी 1, गला0 14 के बुजुर्गान का नाम व प्रतिवादीगण सं. 15,16 का नाम बिना किसी कानूनी अधिकार के खिलाफ मौका खिलाफ कर दर्ज कर दिया । विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण काविज काश्त नही है। मौके पर विवादित आराजीयात पर मिन वादीगण का वास्तविक कब्जा है। वादीगण हल्का पटवारी के पास किसान केडिट कार्ड बनवाने गये तब गलत इन्द्राज काश्त हुआ। इसलिए मिन वादीगण, प्रतिवादीगण के गलत आये इन्द्राज को हजफ कराने एवं मिन वादीगण विवादित आराजीयात में अपने नाम का अमल कराने व जिस्टर्ड बयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पक्षवार एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। सनद पट्टा व रजिस्टर्ड बयनामा पर गौर किया गया। सनद पट्ट नम्बर 377 श्रीमति मंगीबाई वेवा शामूमल निवासी जटयाणा के नाम से विवादित आराजीयात के साथ अन्य आराजीयात का जारी किया हुआ है। जो दिनांक 04.08.1966 को तहसीलदार किशनगढ–बास द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.08.1966 को जो मंगीबाई विधवा श्यामू जाति रबडी निवासी जटियाणा ने झूथाराम, बैया पुत्र सुगडू पिता कल्लू गूर्जरान सा0 जटियाना जो वाद पत्र में वादीगण है के नाम कराया। जमाबन्दी सम्वत 2017 में इसर वगैरा कृषक श्यामूमल पुत्र धर्मूमल सिन्धी सा0 देह (अलोटी) गैर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सं0 2021 में इसर पुत्र मौजा 3 हिस्सा परभाती, खेमचन्द, महादेव पिता जोरिया समभाग 1 हिस्सा गूजर सा. गैर खातेदारान राहिन अमीन खॉ रहीम खॉ वि0 भागफल समभाग सा0 किरवारी मुर्तहन निषकांत कृषक श्यामूमल आलोटी दर्ज है। जमाबन्दी संम्वत 2029 में वर्तमान ख0नम्बरान में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। इन सभी दस्तावेजात से सिद्ध होता है कि विवादित आराजी श्यामूमल पुत्र धर्मूमल को अलोट की गई थी। उसकी फौतगी के बाद उसकी पत्नि ने सनद न0 377(66) दिनांक 04.08.1966 को अन्य खसरा नम्बरान के साथ विवादित आराजी की सनद प्राप्त की। सम्वत 2029 की जमाबन्दी में सैटिलमैंट विभाग ने प्रितिवादीगण के नाम आये गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत. वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 684/0.1400, 688/0.3200 हैक्टर वाकै ग्राम जटियाना तहसील कोटकासिम ने वादीगण 1 लगा0 10 को 1/3 भाग, वादीगण सं. 11 लगा 17 का 1/3, वादीगण 18 लगा0 25 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण सं.0 1 लगा0 14 व 15, 16 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2017 को अंकित किया जाकर सरेइजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner